आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
18.09.2020	न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया	

न्यायालय. समाहर्त्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-200/2020

राज्य

बनाम

1. विजय कुमार अरोरा, पिता विशन लाल, सा0-3026 सेक्टर 15डी0 थाना+जिला-चण्डीगढ़ पीन नं0-999999। (जप्त सेन्ट्रो कार सं0-CH03D-2286 के स्वामी)

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **के0हाट सहायक थाना कांड सं0-51/2019 दिनांक 23.01.19** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। पुलिस अधीक्षक, **पूर्णिया के पत्रांक 782/हि0शा0 दिनांक 28.02.20** द्वारा राजसात का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **उक्त वाहन की जाँच दिनांक 23.01.19 को पूर्णिया नवरतन हाता के पास की गई।** जांच के क्रम में **जप्त वाहन से** रॉयल स्टेग व्हिस्की **का 750मि0ली0 वाला 09 बोतल एवं ऑफिसर्स च्वाईस का 180मि0ली0** वाला 116 पीस **विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी को ज्ञापांक 2026/विधि दिनांक 15.07.20 द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया जिसे डाक विभाग द्वारा बिना तामिला के वापस कर दिया गया एवं प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्तकर्त्ता का पता नही चल पाया। साथ ही विपक्षी वाहन मालिक द्वारा भी अभी तक जप्त वाहन की खोजबीन नहीं की गई।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। न्यायालय द्वारा विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया, जो बिना तामिला के वापस प्राप्त हुआ। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त सेन्ट्रो कार सं0-CH03D-2286** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक मद्य निषेध, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई

सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्य निषेध, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।